कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, कासगंज।

पत्रांक 1622 /28 म० दिनांक 13.7.15

सेवा में,
जिलाधिकारी,
कसगंज।

विषय – उ0 प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा–6 के अन्तर्गत जनपद–कासगंज, बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं0–33) के किमी0 154, हैमी0 4 (चैनेज किमी0–153.207) में मार्ग के बायीं ओर ग्राम–भिटौना, गाटा सं0 95/2, 95/4, 96/1, 97/1, प्रस्तावित क्षेत्रफल 1296.00 वर्ग मी0 मे नवीन रिटेल आउट–लेट निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 2026 न्याय सहायक (द्वितीय)/2015 दिनांक 16.04.2015

****

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं0–33) के किमी0 154, हैमी0 4 (चैनेज किमी0–153.207) में मार्ग के बायीं ओर, ग्राम–भिटौना, गाटा सं0 95/2, 95/4, 96/1, 97/1, (प्रस्तावित क्षेत्रफल 1296.00 वर्ग मी0) तहसील व जिला कासगंज पर नवीन रिटेल आउट–लेट निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु जारी करने के सम्बन्ध में सडक परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0 33023–19/99/डी0 ओ0 III दिनांक 31.08.2000 एवं आर0डब्लू0/एन0एच0 33023–19/99–डी0ओ0 III दिनांक 25.09.2003/ 17.10.2003 में दी गई गाइड लाईन एवं मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो0 नि0 वि0 आगरा के पत्रांक 10765/116 सी0–आ0क्षे0/15 दिनांक 07.07.2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है। निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन आवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी आरम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित निर्माण में कोई वाद किसी न्यायालय में उ0 प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा 13 (1) अथवा 13 (2) के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल ग्राम–भिटौना (आबादी) सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं0–33) के किमी0 154, हैमी0 4 (चैनेज किमी0–153.207) में मार्ग के बायीं तरफ स्थित है।
6. प्रस्तावित स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. आई0 आर0 सी0 (12) 1983 की प्रक्रिया के अनुसार फिलिंग स्टेशन के लिए निर्धारित माप दण्डों की पूर्ति होती है।
8. मार्ग पर उक्त रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड़ के लिये एक किमी0 दूरी पर सर्विस वैरियर नही है।
9. बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 की लम्बाई एवं 3.00 मी0 की चौड़ाई एवं मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी पर बनाये जाना मानचित्र में प्रदर्शित है।
10. रिटेल आउट–लेट पर वाहनो का प्रवेश एवं निकास, कर्वस की चौडाई (सामने से कम से कम 9.00 मी0) की शर्तपूर्ति होती है।
11. आवेदक को उपरोक्त स्थल पर मानचित्र में दर्शित मापों के अनुसार प्रस्तावित निर्माण कार्य रिटेल आउट–लेट लगाने की अनुमति की संस्तुति मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी पर नाली व बफर स्ट्रिप का निर्माण तथा ड्स्पेन्सिंग पम्प 34.86 मी0 दूरी, टैंक 49.16 मी0 व भवन 50.36 मी0 दूरी पर लगाये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि –

(क) आवेदक को पैट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मानचित्र के अनुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनो ओर पुलिया व पहुँच मार्ग का निर्माण लो0 नि0 वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षो के लिए लीज डीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र एनेक्जर III पर आवेदक से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

SSNag
SUSHANT S.NAG
Sr. Sales Officer-Etah S/A
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

F:\words\6 22 07 2011\R S L Control Act Letter doc\ Road Side Land Control Act Lat(1)

(ख) आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।

(ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल या वर्षाती पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेलआउट लेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाली को बन्द नहीं किया जायेगा। नाली का निर्माण मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 दूरी के अन्तिम बिन्दु पर किया जाये।

(घ) फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जाये।

संलग्नक– 1 मानचित्र 2 प्रति।
2 चैक लिस्ट आख्या 1 प्रति।
3 लीज डीड एग्रीमेन्ट 2 प्रति में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
कासगंज

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि –

1. मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0 नि0 वि0, आगरा को उनके पत्रांक 10765 / 116 सी0–आ0क्षे0 / 15 दिनांक 07.07.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ वृत, लो0 नि0 वि0, अलीगढ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता (प्रथम) को सूचनार्थ।
4. अवर अभियन्ता (प्रा0) / मानचित्रकार को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
कासगंज

प्रभागीय वनाधिकारी
कासगंज वन प्रभाग
कासगंज

SSNag
SUSHANT S.NAG
Sr. Sales Officer-Etah S/A
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.